

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -300/2023

अनवान : -

1. रामस्वरूप पुत्र धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. धनाराम पुत्र धोकलराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. सुलतान पुत्र धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. ग्यारसी पुत्री धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. मनोहरी पुत्री धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 10/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता 79/78 की कुल 21.6010 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा धोकलराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 3 ता 4 जो की वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 की बहिने एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी का पिता है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर चुका है। बाद हक त्याग वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 के हक हिस्सा की भूमि है एवं वादीगण उक्त वाद भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वादीगण वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। यही विनाय दावा है।



वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थिति आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तोवज पेश किये। प्रतिवादी स0 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा आपसी राजीनामा / जवाब इकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही। साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता 79/78 की कुल 21.6010 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा इकबाल पेश किया गया है कि मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता 79/78 की कुल 21.6010 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं

उपखण्ड अधिकारी (राज)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी स0 2 अकेले को 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....10/5/23.....को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-जबरासर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या -300/2023

अनवान : -

1. रामस्वरूप पुत्र धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. धनाराम पुत्र धोकलराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
2. सुलतान पुत्र धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
3. ग्यारसी पुत्री धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
4. मनोहरी पुत्री धनाराम जाति धानक निवासी जोखासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 300 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोखासर तहसील नोहर के खाता 79/78 की कुल 21.6010 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण प्रत्येक को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं एवं प्रतिवादी स0 2 अकेले को 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...10.11.23...को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-जबरासर